REGD. NO. D. L.-33004/99

रजि० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1681] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2008/अग्रहायण 7, 1930
1681] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2008/AGRAHAYANA 7, 1930

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

का.आ. 2814(अ).—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार न्याण मंत्रालय के दिनांक 29 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. .का.नि. 693(अ) में भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद पैकेजिंग और लेबलिंग (संशोधन)] नियमावली, 2008 :

नियम 2(ii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामत: :—

"उप-नियम (च) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, नामत: :—

(च) विनिर्दिष्ट चेतावनियां डिब्बे पर लिखी भाषा/भाषाओं में दी जाएंगी :

बशर्ते कि डिब्बे पर एक से अधिक भाषा/भाषाओं के प्रयोग किए जाने पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दो भाषाओं में छपेगी—एक, जिसमें ब्रांड नाम छपा हो और और दूसरी कोई भी अन्य भाषा होगी जिसका प्रयोग डिब्बे पर किया गया हो ।"।

[सं. पी.-16011/07/2005-पीएच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 182(अ), दिनांक 15 मार्च, 2008 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th November, 2008

S.O. 2814(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 693(E) dated 29th September, 2008 the Cigarettes and Other Tobacco Products [Packaging and Labelling (Amendment)] Rules, 2008 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary :—

For rule 2(ii) the following shall be subsituted namely:-

"for sub-rule (f), the following shall be substituted, namely :—

(f) the specified warnings shall be inscribed in the language/s used on the pack :

Provided that where more than one language/s is used on the pack the specified warning shall appear in two languages, one in which the brand name appears and the other in any other language used on the pack.".

[No. P-16011/07/2005-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published *vide* No. G.S.R. 182(E), dated 15th, March, 2008.

4722 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.